22/11/22	पत्रावली आज पेश हुयी। प्रार्थी वकील उपस्थित। तहसीलदार रिपोर्ट अप्राप्त। पत्रावली 20-12-22 को पेश हो।
	[signature]
	पीठासीन अ[illegible] [illegible]वकाशीय बाँरे / कानून [illegible] [illegible] कार्य में व्यस्त [illegible] 20-12-22 के [illegible] आगामी तारीख पेशी दिनांक 21-12-22 नियत की जाती है।
21/12/22	पत्रावली आज पेश हुयी। प्रार्थी वकील उपस्थित। सरकार पैरोकार उपस्थित। तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है जो शामिल पत्रावली है। प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीर मे जारी हुए
उस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों एवं तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह स्पष्ट है कि आवंटन की नक्शा शीट में तरमीम नहीं हुई है, जिससे यह सिद्ध नहीं हो पा रहा कि प्रार्थी का आवंटन कहाँ हुआ था। साथ ही प्रार्थी ने इस संबंध में कोई ठोस/वैध साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किये हैं। चारागाह भूमि की किस्म परिवर्तन केवल कब्जे के आधार पर करना न्यायोचित नहीं है। अतः न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल की जाकर दाखिल दफ़्तर की जाती है। उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाड़ा	